

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

क्रमांक :- प2/लेखा-1/प्लान/बआ/2016-17/ 13 220-25


दिनांक 14-6-17

जिला आयुर्वेद अधिकारी,
निम्नांनुसार

विषय:- आयोजना मदान्तर्गत वर्ष 2016-17 में जिन ग्रामीण औषधालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन औषधालयों में विद्युत कनेक्शन एवं फिटिंग व्यवस्था हेतु बजट आवंटन।

आयोजना मदान्तर्गत वर्ष 2016-17 में बजट मद 2210-04-101-(01)-[00]-05 कार्यालय व्यय में जिन ग्रामीण औषधालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है उन औषधालयों में विद्युत कनेक्शन एवं फिटिंग व्यवस्था हेतु निम्नांनुसार राशि का आवंटन किया जाता है।

ऑफिस आई डी.	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	औषधालय का नाम जहाँ व्यवस्था करवाई जानी है।	आवंटित राशि 10000/- रु. प्रति औषधालय अनुसार
4258	जि.आयु.अधि.अजमेर	1.हट्टण्डी 2.सदापुर 3.कानिया 4.कोटडा	40000/-
15810	जि.आयु.अधि बाडमेर	1.खोखसर 2.उमरलाई 3.राखी 4.उण्डू 5.सिमरखिया पुरोहितान	50000/-
5927	जि.आयु.अधि.भरतपुर	1.बागरेन 2.कमालपुरा 3.जगजीवनपुर 4.नेवाडा	40000/-
9770	जि.आयु.अधि.बांसवाडा	1.आसोडा 2.जगपुरा 3.पडौली गौर्धन 4.दानपुर	40000/-
2998	जि.आयु.अधि.बांरा	1.तिसाया 2.नियाना 3.सोरखण्ड 4.लिसाडीया 5. बिजौरा	50000/-
9738	जि.आयु.अधि.अलवर	1.देसूला 2.इकरोटिया 3.खानपुरअहिरान 4.पुर	40000/-
16945	जि.आयु.अधि. भीलवाडा	1.धुंवाला 2.बिहाडा 3.लाडपुरा 4.जोजवा 5.मांगटला	50000/-
2238	जि.आयु.अधि.चित्तौडगढ	1.मंगलवाड 2.आरणी 3.भिचौर 4.नारेला 5.नगरी	50000/-
13246	जि.आयु.अधि.चुरु	1.आबडसर 2.मालासर 3.रतनादेसर 4.पाबूसर 5. सहजूसर 6.भखरेडी	60000/-
12235	जि.आयु.अधि.दौसा	1.ढिगरीया 2.सिण्डौली 3.कालौता 4.कालीपहाडी	40000/-
17479	जि.आयु.अधि.धौलपुर	1.सहरोली 2.सान्द्रा 3.पिपरोल	30000/-
11034	जि.आयु.अधि.डूंगरपुर	1.टामटिया 2.गेजी 3.महूडी 4.तंलैया	40000/-
13898	जि.आयु.अधि.हनुमानगढ	1.बडोपल 2.लिखमीसर 3.अयालकी 4.भानगढ 5. परलिका	50000/-
15210	जि.आयु.अधि.जयपुर 'अ' क्षेत्र	1.बाडीजोडी 2.जवानपुरा 3.सेपटपुरा 4.कुहाडा	40000/-
16246	जि.आयु.अधि.जयपुर 'ब' क्षेत्र	1.करणसर 2.कानोता 3.काशीपुरा 4.खोनागोरियान	40000/-
6326	जि.आयु.अधि.झालावाड	1. आवर 2.जोलपा 3.जरगा 4.कनवाडी 5.मांथनिया 6.नन्दपुर	60000/-
11902	जि.आयु.अधि.झुन्झुनू	1.अणगासर 2.उत्तरासर 3.ककडेउखुर्द 4.ककराना	40000/-
19272	जि.आयु.अधि.करौली	1.अतेवा 2.केमरी 3.केमला 4.वरगमा	40000/-
13125	जि.आयु.अधि.नागौर	1.बरणगांव 2.खारडिया 3.लिचाणा 4.बस्सी	40000/-
6544	जि.आयु.अधि.पाली	1.करणवा 2.छोडा 3.धणी 4.दिवान्दी	40000/-
12752	जि.आयु.अधि.राजसमन्द	1.लसानी 2.कुकरखेडा 3.सेमा 4.देलवाडा	40000/-
3887	जि.आयु.अधि.सीकर	रिंगस	10000/-
10681	जि.आयु.अधि.सवाई माधोपुर	1.सुरवाल 2.मैनपुरा 3.बालेर 4.बहरावण्डाखुर्द 5. पीपल्दा 6.मलारना चौड 7.रायपुर	70000/-



8906	जि.आयु.अधि.सिरोही	1.सिरौडी 2.निचलागढ 3.दोहितरा	30000 /-
17577	जि.आयु.अधि.टौंक	1.लोहरवाडा	10000 /-
14473	जि.आयु.अधि.उदयपुर	1.अग्गड 2.टेकण 3.कुण 4.झल्लारा 5.करावली 6. बस्सी	60000 /-
12439	जि.आयु.अधि.प्रतापगढ	1.रठान्जना 2.खेरोट 3.पारसोला	30000 /-
19271	जि.आयु.अधि.जोधपुर	1. कागल	10000 /-
16181	जि.आयु.अधि.बीकानेर	1.जसरासर 2.कुचौर आगूणी 3.रोडा 4.स्वरूप देसर	40000 /-
13776	जि.आयु.अधि.श्रीगंगानगर	1.चक 4 सी छोटी 2.दुलपुरा 3.नुरपुरा ढाणी 4. नग्गी 5.चक 3 ओ	50000 /-
6095	जि.आयु.अधि.जालौर	1. बांकरा 2.विशनगढ	20000 /-

1. जिन ग्रामीण औषधालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है उन औषधालयों में विद्युत कनेक्शन एवं फिटिंग व्यवस्था हेतु आवंटित राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करे।
2. आवंटित राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें।
3. विद्युत कनेक्शन एवं फिटिंग कार्य आर.टी.पी.पी.एक्ट/रूल्स के प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए आउटसोर्स से जॉब बेसिस पर कराये जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ, ततसम्बन्धी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए किया जावे।
4. जिन औषधालयों हेतु विद्युत कनेक्शन बाबत बजट आवंटित किया गया है, उस औषधालयों में विद्युत कनेक्शन पूर्व में ही होने पर अन्य औषधालय जहाँ कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, इसी प्रयोजनार्थ राशि का उपयोग किया जा सकता है।


वित्तीय सलाहकार,

क्रमांक :- प2/लेखा-1/प्लान/बआ/2016-17/ 13220-25 दिनांक: 14-6-16
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान।
3. प्रभारी सामान्य/सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा
4. सहायक लेखाधिकारी/प्रभारी अंक मिलान लेखा-4 प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को देकर लेख है कि उक्त सूचना को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।


वित्तीय सलाहकार,